59

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः– श्री एस0 एस0 अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 5038–दो/2015 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 02–09–15 द्वारा कलेक्टर जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 12/अ–19/स्व निग/13–14.

.....

1. बिहारीलाल मिश्रा पिता स्व0 मंगलदीन मिश्रा
2. संगीत कुमारी पति बिहारीलाल मिश्रा
3. विवके कुमार मिश्रा पिता बिहारीलाल मिश्रा
4. अखण्ड कुमार मिश्रा पिता बिहारीलाल मिश्रा
5. कृष्ण कुमार मिश्रा पिता बिहारीलाल मिश्रा
6. विपिन कुमार मिश्रा पिता बिहारीलाल मिश्रा

सभी निवासी ग्राम भमरा तहसील सेमरिया
जिला–रीवा म0प्र0

.....आवेदकगण

विरूद्ध

1.बैजनाथ प्रसाद मिश्रा पिता स्व0 मंगलदीन मिश्रा
2.भानू प्रसाद कुशवाहा पिता स्व0 विश्वनाथ प्रसाद कुशवाहा
3.शिवकुमार मिश्रा पिता गोमिका प्रसाद मिश्रा
4.रामशखा साहू पिता स्व0 चुनवादी साहू
5.चूडामणि द्विवेदी पिता स्व0 सरयू प्रसाद द्विवेदी
6.लोल्ली साकेत पिता स्व 0 भूरा साकेत
7.रामगोपाल साकेत पिता स्व0 परदेशी साकेत
8.मोतीलाल कुशवाहा पिता स्व0 सरजू प्रसाद कुशवाह

निवासीगण ग्राम भमरा तहसील–सेमरिया
जिला–रीवा म0प्र0

.....अनावेदकगण

.....

श्री शिवप्रसाद द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री राजकुमार मिश्रा, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

आदेश

(आज दिनांक 11.01.2018 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय कलेक्टर जिला रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 2–09–201 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण का सारांश इस प्रकार है कि आवेदकगण के आपत्ति दिनांक 02.01.2002 को आदेश हेतु लिया गया। आवेदकगण ने नायब तहसीदार सेमरिया जिला–रीवा के राजस्व प्रकरण कमांक 26/अ–19/4/81–82 में पारित आदेश दिनांक 18.02.82 प्रकरण कमांक 26/अ–19/4/80–81 में पारित आदेश दिनांक 02.05.84 प्रकरण कमांक 32/अ–19/4/82–83 में पारित आदेश दिनांक 25.04.87 प्रकरण कमांक 63/अ–19/88–89 में पारित आदेश दिनांक 02.04.89 प्रकरण कमांक 32/अ–19/89–90 में पारित आदेश दिनांक 14.09.90 के विरुद्ध शिकायत अभ्यावेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उक्त प्रकरण को तलब कर जांच की जावे। आवेदकगण को कारण बताओ सूचना पत्र जारी अंतिरिम आदेश दिनांक 2.9.2015 से किया गया है इसी से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3–आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की। लिखित बहस में उनके द्वारा तर्क किया गया है कि कलेक्टर जिला रीवा के आदेश दिनांक 2.9.15 के विरूद्ध दायर की गई है जिसमें मुख्य विचारणीय बिन्दु यह है कि कलेक्टर के समक्ष जो निगरानी अनावेदक ने दायर किया था वह निगरानी प्रकरण क्या प्रचलन योग्य

हे और क्या उस निगरानी प्रकरण को स्वप्रेरणा निगरानी के रूप में लिया जा सकता था। इस बिन्दु पर जो आपत्ति अधीनस्थ न्यायालय में पेश की गई थी उस आपत्ति को न्यायिक तौर पर गुणदोष पर निराकरण करना चाहिये। कलेक्टर जिला रीवा ने जो स्वप्रेरणा निगरानी का मामला पंजीबद्व किया था वह निगरानी प्रकरण अन्य के अतिरिक्त निम्न कारणो से पोषणीय नहीं था। उनके द्वारा यह भी बताया गया है कि निगरानी ग्राह्य व विचारणीय नहीं है, ऐसी स्थिति मेंउसे स्वप्रेरणा निगरानी के रूप में चलाने का औचित्य नहीं था क्यों कि अवधि का बिन्दु निगरानी प्रकरण में विचारणीय होता है और स्वप्रेरणा निगरानी प्रकरण चलाने के लिये भी एक युक्तिसंगत समय सीमा होना चाहिये। अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार की जाकर कलेक्टर जिला रीवा का अंतिरिम आदेश दिनांक 2.9.2015 निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

4—अनावेदकगण अधिवक्ता द्वारा उक्त अभ्यावेदन के संबेध में प्रस्तुत की गई आपत्ति में उल्लेखित किया है कि किसी विष्शिट आदेश के विरुद्ध कोई व्यथित व्यक्ति अपील अथवा निगरानी अवश्य कर सकता है लेकिन ऐसा कोई प्रावधान नही है कि कोई व्यक्तिय कई आदेशो की एक ही निगरानी के द्वारा चुनौती दे सकता था, अन्य नही इस तरह निगरानी औचित्यहीन है। प्रत्येक विष्शिट आदेश के विरुद्ध अलग निगरानी होनी चाहिए, क्योकि एक आदेश से एक व्यक्ति प्रभावित हो सकता है लेकिन यह जरुरी नही है कि उसी आदेश से दूसरा व्यक्ति भी प्रभावित होगा। निगरानी दायरा करने के लिए म0 प्र0 भू—राजस्व संहिता में समय सीमा निर्धारित है कि किस तरह किसी आदेश की चुनौती दी जावेगी वास्तव में निगरानी दायरा करने के लिए जो समय सीमा है उसके सन्दर्भ में भी निगरानी में कोई विष्शट विवरण नही है कि प्रश्नाधीन आदेशों के विरुद्ध जो निगरानी दायर की गई है जिन आदेशों की निगरानी में चुनौती दी गई वह किसी आधार पर पोषणीय नही है। क्योकि मूल

आदेश अपील योग्य होते है तथा संहिता की धारा 50 की उपधारा 1 के परन्तुक के आधार पर अपील योग्य आदेश की निगरानी नही हो सकती निगरानी में धारा 50, (1) म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता तथा राजस्व पुस्तक परिपत्र के अधीन निगरानी दायर करने लिखा है लेकिन राजस्व में किन विधान के अधीन है अतएव अपील संक्षिप्ततः निरस्त किया जाये।

5–उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न अभिलेखों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि अनावेदकगणो के प्रारम्भिक आपत्ति पर विचार तथा प्रकरण का अवलोकन किया। आवेदनगण ने अधीनस्थ न्यायालय के व्यवस्थापन प्रकरणो को जांच कराई जाकर स्वयमेव निगरानी में लिये जाने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है। अनावेदकगण के आपत्तियो के संवंध में संहिता की धारा 50–(1) अनुसार यह प्रावधानिक है कि किसी आदेश की बैधता या औचित्य अथवा किसी कार्यवाही के औचित्य के संबंध में अपना समाधान कर सकेगा और इस आशय से मामले का अभिलेख मंगा कर उसका परीक्षण कर सकेगा उसके संबंध में ऐसा आदेश दे सकेगा जो वह ठीक समझे । इसी प्रकार किसी व्यक्ति द्वारा आवेदन पर स्वप्रेरण से पुनरीक्षण की कार्यवाही शक्तियों को दुरुपयोग नही है। इसी प्रकार अपीलीय आदेश के विरुद्ध अपील न किए जाने पर भी आदेश का परिणाम ऐसी पुष्टि होने की दशा में जिसका संशोधन आवश्यक हो स्वप्रेरण से पुनरीक्षण किया जाना चाहिए जहां अधिकारिता का पुर्ण अभाव हो अथवा घोर अन्याय किया गया हो। इसलिये संहिता की धारा 50 के अधीन स्वमेव निगरानी में परीक्षण योग्य है। तत्कालीन नायब तहसील सेमरिया जिला रीवा प्रश्नाधीन प्रकरणों में पारित किये गये आदेशो के तहत ग्राम भमरा ज0 नं0 412 तहसील सिरमौर जिला रीवा की शासकीय भूमि खसरा कमांक 277/1 रकवा 10.25 एकड का जुज रकवा 5.00 एकड भूमि खसरा कमाक 274 रकवा 0.85 एकड भूमि खसरा कमांक

3/1 रकवा 50.53 का जुज रकवा 0.50 एकड भूमि खसरा कमांक 277/1 रकवा 5.25 एकड का जुज रकवा 0.50 एकड 3/1रकवा 5.25 का जुज रकवा 0.50 एकड 3/1 रकवा 50.03 का जुज रकवा 0.607 हेक्टेयर खसरा कमांक 277/1 रकवा 5. 25 कर जुज रकवा 4.75 एकड का व्यवस्थापन बिहारीलाल तनय मंगलदीन ब्रा निवासी भमरा तहसील सेमरिया के नाम किया गया है अधीनस्थ न्यायालय के उपरोक्त प्रकरण के अवलोकन से निम्नानुसार अवैधनिकता अनियमितता एवं नियम विरुद्ध कार्यवाही कलेक्टर जिला रीवा द्वारा की गई है:–

अ. प्रश्नाधीन भूमि का व्यवस्थापन किस अधिनियम नियम के तहत किया गया है का स्पष्ट उल्लेख नही है।

ब. प्रश्नाधीन भूमि का व्यवस्थापन करने के पूर्व संहिता की धारा 237 के तहत नवैयत परिवर्तन नहीं किया गया है ।

स. ग्राम पंचायत का विधिवत प्रस्ताव नहीं लिया गया है।

द. प्रकरण में आम ईस्तहार का प्रकाशन नियमानुसार विधिवत किया जाना नही पाया जाता।

ई. अनावेदक का कब्जा होने के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जांच किया जाना नही पाया जाता और न ही अनावेदक द्वारा प्रश्नाधीन ही भूमि में पुराना कब्जा होने के संबंध में कोई अभिलेख ही प्रस्तुत किया है जिससे यह निर्धारित नही किया जा सकता है कि उसका कब्जा प्रश्नाधीन भूमि मे कब से है।

6– चूकि प्रश्नाधीन भूमियो का एक ही व्यक्ति के नाम अलग–2 प्रकरण तैयार कर व्यवस्थापन आदेश किया गया है, पृथक –पृथक प्रकरण की आवश्यकता नही है। अतः उपरोक्त कारणो से अधीनस्थ न्यायायल का प्रश्नाधीन आदेशों को म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के तहत स्वप्रेरणा निगरानी में लिया गया है, इससे से कलेक्टर द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है और आवेदकगण को कारण

बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है उसका जबाव आवेदकगण को देने का पर्याप्त अवसर था लेकिन प्रकरण को लंबित रखने के उददेश्य से इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत कर दी गई है जो कोई औचित्य नहीं है क्यों कि अभी कलेक्टर जिला रीवा के न्यायालय में प्रकरण गुण दोष पर पेशी नियत की . गई थी और प्रकरण संचालित था। वहां अभी उनको अपना पक्ष समर्थन के लिंये पर्याप्त अवसर है। ऐसी दशा में कलेक्टर जिला रीवा का आदेश उचित है उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

7– उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 12/अ–19/स्व0निगरानी/13–14 में पारित अंतिरिम आदेश दिनांक 2.9.2015 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन एवं महत्व हीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश
ग्वालियर